

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
ALI YAVAR JUNG NATIONAL INSTITUTE OF SPEECH AND HEARING DISABILITIES (D)
के सी मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050
K C MARG, BANDRA (WEST), MUMBAI-400050

सं.सं.: सीवीओ/2026/30

27.08.2026

कार्यालय आदेश

विषय: तीन माह के निवारक सतर्कता अभियान एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के आयोजन के संबंध में।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशों के अनुपालन में, अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान, मुंबई तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी क्षेत्रीय केंद्रों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तीन माह का निवारक सतर्कता अभियान एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 आयोजित किया जाएगा।

1. तीन माह का निवारक सतर्कता अभियान: यह अभियान दिनांक 17.08.2026 से 16.11.2026 तक आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान निवारक सतर्कता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा पर विशेष बल दिया जाएगा।

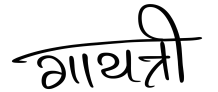
अभियान के प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नलिखित होंगे:

- I. लंबित शिकायतों का निपटान;
- II. लंबित मामलों का निपटान;
- III. क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम;
- IV. डिजिटल पहल; तथा
- V. संविदा प्रबंधन।

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026: सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 26.10.2026 से 01.11.2026 तक "सत्यनिष्ठा से समृद्धि" विषय के साथ मनाया जाएगा।

अभियान के दौरान लंबित शिकायतों एवं मामलों की समीक्षा कर उनका समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाएगा। निवारक सतर्कता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचरण, क्रय नियमों, डिजिटल सुरक्षा तथा ई-गवर्नेंस आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

इस क्रम में बैनर/पोस्टर प्रदर्शित करना, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाना, संगोष्ठी/कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना आदि गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी प्राथमिकता के आधार पर उक्त गतिविधियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान,, मुंबई को प्रस्तुत करेंगे।



(डॉ. गायत्री आहूजा)

मु.स.अधि. अंशकालिक

संलग्नक: केंद्रीय सतर्कता आयोग का परिपत्र संख्या 04/08/26 दिनांक 03.08.2026 तथा परिशिष्ट-क सेवा में:

1. निदेशक कार्यालय, अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान,, मुंबई – सूचनार्थ।
2. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रमुख, अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि. संस्थान,, मुंबई – सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. सभी क्षेत्रीय केंद्रों के प्रभारी अधिकारी/प्रमुख – आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु।
4. सभी समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक/प्रभारी अधिकारी – आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन हेतु।

प्रतिलिपि: श्री अनुराग गोयल, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली।